(19)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक–एफ.6(5)(3)प्र.सु. / अनु.–3 / 2006 / जयपुर, दिनांक 19.1.2011

आदेश

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को वितरीत किये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार दलिया / खिचडी / नाश्ता एवं आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती / धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरीत किये जाने वाले आरटीई पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच / गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार गुणवत्ता नियन्त्रण समिति का गठन किया जाता है : –

1.	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	—	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रतिनिधि	—	सदस्य
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी (जिला मुख्यालय पर पद स्थापित)	—	सदस्य सचिव
4.	स्थानीय स्वयं सेवी संस्था (NGO) (जिला प्रमुख द्वारा मनोनीत किया जावेगा)	—	सदस्य

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार वितरण की सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में यह समिति जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति को अपनी अनुशंषा प्रस्तुत करेगी। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त किया जावेगा। स्थानीय स्वयं सेवी संस्था (NGO) का मनोनयन जिला प्रमुख की सहमति से अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। यह समिति तय करेगी की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पूरक पोषाहार का निर्माण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है। यह समिति महिला स्वयं सहायता समूहों को पूरक पोषाहार के निर्माण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के साथ यह भी सुनिश्चित करेगी कि समूहों को नियमित रूप से भुगतान हो रहा है। समिति की बैठक पाक्षिक आयोजित की जावेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं) राजस्थान, जयपुर होगा।

आज्ञा से

18.1.11

शासन उप सचिव

क्रमांक–एफ.6(5)(3)प्र.सु. / अनु.–3 / 2006 / जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
11. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

18/1/11

अनुभागाधिकारी